2019, 3 एस.सी.सी.आर, 713

स्वपन कुमार चटर्जी

बनाम

केंद्रीय जांच एजेंसी

(दाण्डिक अपील सं0 15 का 2019) 04 जनवरी, 2019

न्यायामूर्ति के के सिकरी और एस 0 अब्दुल नाजर, न्यायाधीशगण

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973

धारा 311 के अंतर्गत शक्तियां एवं विस्तार,अभिनिर्धारित किया गया कि धारा 311 दण्ड प्रक्रिया संहिता की शक्ति का बहुत सावधानी और ध्यानपूर्वक प्रयोग किया जाना चाहिए और न्यायालय द्वारा केवल न्याय तक पहुंचने हेतु उक्त शक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए–वर्तमान मामले के तथ्यों में गवाह को बुलाने के लिए आवेदन, अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए था।

अपील स्वीकार करते हुए न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया कि–

1. धारा 311 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत प्रदत्त शक्ति न्याय तक पहुंचने हेतु पूरा करने के लिए केवल अदालत द्वारा आमंत्रित किया जाना चाहिए। इस शक्ति का प्रयोग केवल विशिष्ट एवं वैध कारणों के लिए किया जाना चाहिए और इसका प्रयोग करते समय बहुत सावधानी और सतर्कता बरतना चाहिए। न्याय के हित में आवश्यक पुनः परीक्षा या आगे की परीक्षा के लिए गवाहों को वापस बुलाने के लिए अदालत के पास इस धारा के तहत शक्ति है, लेकिन प्रत्येक विवाद के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए तभी प्रयोग किया जाना चाहिए जब मामला अति आवश्यक हो। परंतु, इस प्रावधान के तहत शक्ति का प्रयोग वहां नहीं करना चाहिए जहां अदालत का विचार है कि उक्त आवेदन कानून की प्रक्रिया के दुरुपयोग के रूप में दायर किया गया है। पैरा 12, 716–एफ–एच

2. उपरोक्त मामले में, मामला वर्ष 1983 में दर्ज किया गया था। 29 अभियोजन पक्ष के गवाहों की पहले ही जांच की जा चुकी थी। हस्तलेखन विशेषज्ञ की जांच के लिए अभियोजन पक्ष के आवेदन को वर्ष 2004 में अनुमति दी गई थी। हालांकि, अभियोजन पक्ष उसे अपनी परीक्षा के लिए अदालत में बुलाने में विफल रहा है। इसके बाद, उसे बुलाने के लिए कई आवेदन दायर किए गए हैं और उन सभी को अनुमति दी गई है। हालांकि, अभियोजन पक्ष अदालत में गवाह की उपस्थिति सुनिष्चित कराने में विफल रहा है। पैरा 14,

3. आपराधिक पुनरीक्षण आवेदनों में उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.07.2011 और 15.09.2014 के बावजूद, 713 सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट 2019, 3 एस 0 सी0 आर जिसके तहत अभियोजन पक्ष को गवाह की उपस्थिति हासिल करने का अंतिम अवसर दिया गया था और यह देखा गया था कि चूंकि मुकदमा लंबे समय से लंबित है, इसलिए विचारण न्याया द्वारा मुकदमे को जल्द से जल्द समाप्त करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए, विचारण न्यायालय ने इसकी अनुमति दे दी है गवाह को बुलाने के लिए अभियोजन पक्ष द्वारा आवेदन दायर किया गया, जिस आदेश की पुष्टि की गई है। उच्च न्यायालय द्वारा। उच्च न्यायालय को गवाह को बुलाने के लिए अभियोजन पक्ष के आवेदन को खारिज कर देना चाहिए था। पैरा 15 और 16, 717–डी–एफ,

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकारः 2019 की आपराधिक अपील संख्या 15 कलकत्ता उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 04.05.2017 से 2015 का सीआरआर नंबर 440/2015. पी0 एस 0 दत्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता, सुश्री अन्वेषा साहा, फुजैल अहमद अय्यूबी, अधिवक्ता के लिए. अपीलकर्ता.

विक्रमजीत बनर्जी, एएसजी, वी.डी. माखेजा, वरिष्ठ वकील, सचिन शर्मा, पी.के. डे, टी. ए. खान, ए. के. शर्मा, मुकेश कुमार मरोरिया, सलाहकार। प्रतिवादी के लिए.

न्यायमूर्ति एस 0 अब्दुल नजीर द्वारा निर्णय दिया गया। अनुमति प्रदान की गयी।

2. अपीलकर्ता– स्वपन कुमार चटर्जी ने कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा पारित सीआरआर संख्या 440/2015 में दिनांक 04.05.2017 के आदेश को चुनौती दी है, जिसके तहत उच्च न्यायालय ने विचारण न्यायालय द्वारा परीक्षा की अनुमति देते हुए दिनांक 05.12.2014 को पारित आदेश की पुष्टि की थी। एक गवाह श्री एच.एस. टुटेजा।

3. इस अपील के निस्तारण हेतु आवश्यक संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैंः

4. श्री पी.एन. खन्ना नामक व्यक्ति द्वारा एक शिकायत पुलिस अधीक्षक, केंद्रीय जांच ब्यूरो (संक्षेप में 'सीबीआई), आर्थिक अपराध शाखा, चर्च लेन कलकत्ता के समक्ष दर्ज करायी थी। जहां वर्तमान अपीलकर्ता को अन्य लोगों के साथ सीबीआई मामले संख्या 7/ई/83 दिनांक 20.08.1983 में आरोपी के रूप में पेश किया गया था। भारतीय दंड संहिता , 1860 की धारा 477 क/471/468/420/120 ख के तहत। जांच पूरी होने के बाद, जांच एजेंसी ने उपरोक्त धाराओं के तहत और धारा 5(1)(सी)(डी) के साथ पठित धारा के तहत भी आरोप पत्र दायर किया। अपीलकर्ता और तीन अन्य के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947 की धारा 5(2) के मामले

का विचारण षुरू हुआ। अभियोजन पक्ष के उनतीस गवाहों से पूछताछ की गई। लोक अभियोजक ने हस्तलेखन विशेषज्ञ श्री एच.एस. टुटेजा को परीक्षित कराने हेतु प्रार्थना की गयी जिसकी अनुमति दे दी गई और उनकी परीक्षा के लिए 24.03.2004 और फिर 26.03.2004 की तारीख तय की गई। अभियोजन को गवाही की तारीख से काफी पहले गवाहों को समन जारी करने का निर्देश दिया गया था। हालाँकि, श्री एच.एस. टुटेजा अदालत के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहे , जिसके कारण अभियोजक ने उनकी परीक्षा के लिए अगली नियत तिथि तक प्रस्तुत करने के लिए समय मांगा। अभियोजक के इस अनुरोध को मजिस्ट्रेट ने इस निर्देश के साथ स्वीकार कर लिया कि नियत दिनांक 10.05.2004 से 12.05.2004 तक तय किया गया है, और अभियोजन को श्री एच.एस. सहित सभी गवाहों को बुलाने का निर्देश दिया गया था। टुटेजा. उक्त गवाह एक बार फिर उपस्थित नहीं हुआ। अभियोजक ने समन और जमानती वारंट को फिर से जारी करने के लिए प्रार्थना नहीं की, बल्कि श्री एच.एस. टुटेजा सहित अन्य गवाहों को फिर से बुलाने के लिए अभियोजक द्वारा एक अलग याचिका दायर की गई थी। अभियोजन प्रार्थना को मजिस्ट्रेट ने अंतिम अवसर प्रदान करते हुए स्वीकार किया, तब से, जब भी श्री एच.एस. टुटेजा उपस्थित होने में विफल रहा और अभियोजन पक्ष द्वारा हमेशा समय की मांग की जाएगी तथा अभियोजन साक्षियों को प्रस्तुत करने हेतु प्रार्थनापत्र देते रहे या स्थगित करते रहे।

5. दिलचस्प बात यह है कि यह प्रथा वर्ष 2004 से शुरू होकर तेरह वर्षों की अवधि तक निर्विरोध रूप से चलती रही है। यहां यह ध्यान देना आवश्यक है कि कलकत्ता उच्च न्यायालय ने 2006 के सीआरआर संख्या 3436 में 28.07.2011 को एक आदेश दिया था। एच 0 एस 0 टुटेजा को प्रस्तुत करने हेतु सीबीआई को आखिरी मौका दिया गया। यह देखा गया कि सीबीआई की ओर से विफलता के मामले में उसकी उपस्थिति, और अन्य गवाहों की उपस्थिति प्राप्त करें और उन्हें प्राप्त करेंजांच की गई, विचारण न्यायालय यह ध्यान में रखते हुए कि मामला अभी भी वर्ष 1985 से लंबित है, सीबीआई को कोई और स्थगन दिए बिना मुकदमे को आगे बढ़ाएगा।

6. हालाँकि, ट्रायल कोर्ट ने फिर भी अभियोजन पक्ष को अपने गवाह श्री एच.एस. टुटेजा को दिनांक 03.02.2012 को पेश करने के लिए समय दिया, जो अब तक किसी काल्पनिक प्राणी से कम नहीं था और जिसकी उपस्थिति एक दशक से भी अधिक समय से अपेक्षित थी, फिर भी अप्राप्य है। सम्मन की विधिवत तामील होने के बावजूद वह उस तिथि पर भी उपस्थित नहीं हुए। फिर, मामले को उनकी गवाही के लिए 24.02.2012 तक के लिए स्थगित कर दिया गया। इसके बाद भी कई तारीखों पर सीबीआई साई गवाह को पेश करने में विफल रही।

7. फिर, 2014 के आपराधिक पुनरीक्षण आवेदन संख्या 2696 दिनांक 15.09.2014 में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पाया कि चूंकि मुकदमा लंबे समय से ट्रायल कोर्ट में लंबित है , इसलिए विचारण न्यायालय द्वारा इसे समाप्त करने के लिए सभी कदम उठाए जाने चाहिए। यथासंभव शीघ्रता से परीक्षण करें, अधिमानतः आने वाले छह महीनों के भीतर। सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट 2019, 3 एस.सी.आर.

8. दिनांक 25.11.2014 को अपीलकर्ता की जांच बचाब साक्षी 1 के रूप में की गई। उसी दिन अभियोजन पक्ष ने फिर से श्री एच.एस. टुटेजा से पूछताछ करने के लिए एक आवेदन दायर किया। इस आवेदन को मजिस्ट्रेट ने 05.12.2014 को अनुमति दे दी। इस आदेश की उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई है।

9. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता और उनकी ओर से उपस्थित विद्वान एएसजी को सुना।

10. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 311 (संक्षेप में, कंपनी अदालत को महत्वपूर्ण गवाह या उपस्थित व्यक्ति को बुलाने की शक्ति प्रदान करती है। इसे इस प्रकार पढ़ा जाता है – 311. आवष्यक साक्षी को समन करने या उपस्थित व्यक्ति की परीक्षा करने की षक्ति –कोई न्यायालय इस संहिता के अधीन किसी जांच, विचारण या अन्य कार्यवाही के किसी प्रक्रम में किसी व्यक्ति को साखी के तौर पर समन कर सकता है या किसी ऐसे व्यक्ति की, जो हाजिर हो, यद्यपि वह साक्षी के रूप में समन न किया गया हो, परीक्षा कर सकता है, किसी व्यक्ति को, जिसकी पहले से परीक्षा की जा चुकी है पुनः बुला सकता है और उसकी पुनः परीक्षा कर सकता है, और यदि न्यायालय को मामले के न्यायसंगत विनिश्चय के लिए किसी ऐसे व्यक्ति का साक्ष्य आवश्यक प्रतीत होता है तो वह ऐसे व्यक्ति को समन करेगा और उसकी परीक्षा करेगा या उसे पुनः बुलाएगा और उसकी पुनः परीक्षा करेगा।

11. इस धारा का पहला भाग, जो अनुज्ञेय है, आपराधिक अदालत को पूरी तरह से विवेकाधीन अधिकार देता है और उसे संहिता के तहत जांच, परीक्षण या अन्य कार्यवाही के किसी भी चरण में तीन तरीकों में से एक में कार्य करने में सक्षम बनाता है, अर्थात् (प) किसी भी व्यक्ति को गवाह के रूप में बुलानाय या (पप) उपस्थित किसी भी व्यक्ति की जांच करना, भले ही उसे गवाह के रूप में नहीं बुलाया गया होय या (पपप) पहले से जांचे गए किसी भी व्यक्ति को वापस बुलाना और दोबारा जांच करना। दूसरा भाग, जो अनिवार्य है, अदालत पर (प) समन करने और जांच करने या (पप) ऐसे किसी भी व्यक्ति को वापस बुलाने और दोबारा जांच करने का दायित्व डालता है, यदि उसका साक्ष्य मामले के

उचित निर्णय के लिए आवश्यक प्रतीत होता है।

12. यह सुस्थापित है कि धारा 311 के तहत प्रदत्त शक्ति का उपयोग न्यायालय द्वारा केवल न्याय के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किया जाना चाहिए। शक्ति का प्रयोग केवल आवष्यक और वैध कारणों के लिए किया जाना चाहिए और इसका प्रयोग बहुत सावधानी और सतर्कतापूर्वक किया जाना चाहिए। इस धारा के तहत अदालत को न्याय के हित में आवश्यक, दोबारा जांच या आगे की जांच के लिए गवाहों को वापस बुलाने की भी शक्ति है, लेकिन इसका प्रयोग प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने के बाद किया जाना चाहिए। इस प्रावधान के तहत शक्ति का प्रयोग नहीं किया जाएगा यदि अदालत का मानना है कि आवेदन कानून की प्रक्रिया के दुरुपयोग के रूप में दायर किया गया है। स्वपन कुमार चटर्जी बनाम केंद्रीय जांच एजेंसी, एस. अब्दुल नजीर, जे.,

13. जहां अभियोजन साक्ष्य बहुत पहले ही बंद कर दिया गया हो और गवाह से पहले पूछताछ न करने का कारण संतोषजनक न हो, वहां गवाह को देर से बुलाने से अभियुक्त पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और इसकी अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इसी तरह, अदालत को इस प्रावधान के तहत किसी गवाह को वापस बुलाने के लिए लगातार आवेदन दायर करने को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए।

14. मौजूदा मामले में मामला वर्ष 1983 में दर्ज किया गया था। अभियोजन पक्ष के 29 गवाहों से पहले ही पूछताछ की जा चुकी है। श्री एच.एस. टुटेजा से पूछताछ करने के लिए अभियोजन पक्ष का आवेदन वर्ष 2004 में अनुमति दी गई थी। हालाँकि, अभियोजन पक्ष उसे परीक्षण के लिए अदालत में रखने में विफल रहा है। इसके बाद, उन्हें बुलाने के लिए कई आवेदन दायर किए गए और उन सभी को अनुमति दे दी गई। हालाँकि, अभियोजन पक्ष अदालत में उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करने में विफल रहा है।

15. जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, 28.07.2011 को कलकत्ता उच्च न्यायालय ने अभियोजन पक्ष को उसकी उपस्थिति प्राप्त करने का अंतिम अवसर दिया और घोषणा की कि गवाहों की उपस्थिति प्राप्त करने और उनकी जांच करने में सीबीआई की ओर से विफलता के मामले में, विचारण न्यायालय सीबीआई को कोई और स्थगन दिए बिना मुकदमे को आगे बढ़ाएगा। इसके बाद भी सीबीआई की ओर से दायर आवेदनों को अनुमति दे दी गई है।

16. 15.09.2014 को, एक बार फिर, उच्च न्यायालय ने एक आपराधिक पुनरीक्षण आवेदन में कहा कि चूंकि मुकदमा लंबे समय से लंबित है, इसलिए विचारण न्यायालय द्वारा मुकदमे को यथासंभव शीघ्रता से समाप्त करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए, अधिमानतः छह के भीतर महीने. इसके बाद भी, विचारण न्यायालय ने श्री एच.एस. टुटेजा को बुलाने के लिए अभियोजन पक्ष द्वारा दायर आवेदन को स्वीकार कर लिया है। जिस आदेश पर हाईकोर्ट ने मुहर लगा दी है. हमारे विचार में, उच्च न्यायालय को अपील स्वीकार कर लेनी चाहिए थी और गवाह श्री एच.एस. टुटेजा को बुलाने के लिए अभियोजन पक्ष के आवेदन को खारिज कर देना चाहिए था।

17. परिणामस्वरूप, अपील स्वीकार की जाती है। अभियेाजन के प्रार्थनापत्र श्री एच.एस. टुटेजा को बुलाने के प्रार्थनापत्र पर पारित विचारण के आदेश दिनांकित 05.12.2014 को एतद्द्वारा रद्द कर दिया जाता है और अभियोजक द्वारा दायर आवेदन श्री एच.एस. टुटेजा को बुलाने के लिए दिये गये प्रार्थनापत्र को निरस्त किया जाता है।

(अमित कुमार)
सिविल जज(सी0 डि0)/
एफ 0 टी0 सी0
सहारनपुर